

13/5/16

श्री रामेश्वर

3228  
13516

पन्नावली राजस्व लोक अदासत/के  
कोर्ट...आमलगाद...में पेश हुई,  
पक्षकारान उप./अनु. पक्षकारान में सार्जनमा  
न होने से पन्नावली निस्तारित नहीं की जा सकी  
संबंधित न्यायालय को वापस लौटाई जाती है।  
भावा नियो प्रप्लन

B.S.

14/9/16

14.9.16

पन्नावली पेश। वकील वादी उपारूपत  
दिनांक 13.5.16की वाजना में P.9 कदम  
जारी नहीं किए गए। अतः आज वकील  
वादीकी बहस सुनी गई कि अपारिषी  
पटवार हुन्वा आमली के आराजी नम्बर  
687, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 703,  
710, 743, 752, 753, 770, 772, 773  
विता 15- विता 24की घा 12 बिरवा में  
विदि, व वारेसात अनुसार वादी वा  
हुं हिस्सा व प्रातवादी 2002 का 12 हिस्सा

प्रतिवादी नं. 3 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 1  
का 1/2 हिस्सा हरद्वारे से से 16 हिस्सा वस करने  
पर शर्त है। व, हरद्वारा लिखित डोक्यूमेंट  
इसी अनुषंग में वाकिज डोक्यूमेंट अपराध  
उपयोग करते चले आ रहे हैं अतः  
प्रतिवादी नं. 1 से (अगाध) 3 विभाजन की  
डिवाइड करमाई का कर वारिज आराजिघात  
का मिट्स एंड वॉजन्स के अनुसार  
विभाजन किया जा कर इकतदारों के नाम  
अलग अलग दर्ज कर।

पन्नावली व राजरत्न शेखाडेवा

अवलोकन किया गया। अतः लहरीपदार  
का आदेश दिया जाता है कि ग्राम रूपाली  
के रवाता सं 20 में नं. 31 गं 687, 696,  
697, 699, 700, 701, 708, 709, 710, 743, 752,  
753, 770, 773, 773 किला 15 रकबा 24  
बीघा 13 बिरजा का बरबाडा मिट्स एंड  
वॉजन्स के अनुसार हरद्वारे लिखित  
सभी वादी प्रतिवादी नं. 1 से से 16 हिस्सा  
में किया जा कर दिनांक 3.11.16 तक  
पालना रिहाई मिजावे। पारा 3 मय (30%)  
जारी कर। पन्नावली दिनांक 3.11.16 का  
पेगल।

15.5.17

पन्नावाली गजरम लोक, कुदालत  
अभियान के लिए आम लोग के पर  
पेश। पत्तारी कुल्ला से बतारा गए।  
सि, वादी द्वारा - पायालय में इस वाद  
में अंतर्गत आराजिपाल का पुकरण  
सं. 323/12 में दर्ज कराया गया है  
जिसका फैसला दिनांक 13.5.16  
को हो कर निर्णय अनुसार गजरम  
रेन्वाड में भेज करामत कर दिया  
गया है

प्रतिनिधि  
ICICI बैंक  
Mangroop

323/20

अंतः कुदालत पुकरण सं. 323/12  
निर्णय दिनांक 13.5.16 में इस वाद  
में अंतर्गत आराजिपाल का पुकरण  
हो कर पा लला डा मुर्का, पिर  
द्वारा प्रार्थना द्वारा वाद परा करने का  
कोई औचित्य नहीं है।

अतः प्रार्थना द्वारा दुबारा वाद  
पुरा करने से वाद ~~का~~ पुन श्वाराज  
विमा जाता है।

आज यह निर्णय सरे आम सुकमा  
गया। 4/5  
पन्नावाली पाराल शुमार हो कहे  
नम्बर से काम हो।

सपना अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर, हरीजाद

श्री उज्ज्वल पिता कजेंड आट निवासी रूपालपा  
उनाम वादी

- 1- श्री रामेश्वर पिता धुवल आट निवासी रूपालपा
  - 2 " भैलर लाल पिता कालू लाल आट मोटालपा
  - 3 श्रीमती समता देवी पत्नी अर्जुन लाल आट जित्यास
  - 4 आई. सी. आई. सी. आई. सी. लिमिटेड शाखा मंगरुप
  - 5 लहसीलदार भीलवाड़ा
- (पतिलादीगट)

दावा बाबत- 53-54 21-12-31.

मुकदमा नम्बर :- 164/15

निर्णय दिनांक :- 15.5.17

वादी की ओर से ..... की व प्रतिवादी की ओर से ..... उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.5.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेणु भीना) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

प्राप्त द्वारा पूर्व म.प. म 323/12 निर्णय दिनांक  
13.5.16 से डोभापा/ दुबारा वाद परा करने से  
वाद पत्र श्वारीज विवाद जाला है।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.5.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

9/2

उपखण्ड अधिकारी  
पदेन सहायक जज, हमीरगढ़